

::राजस्थान-सरकार::

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, डॉ0 सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं
संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर।

क्रमांक:-एफ. 2/स्था./आमवि/जो0/2020/11820

दिनांक: 31 .07.2020

::कार्यालय आदेश::

चयन समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विशिष्टता में सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि अथवा अन्य आदेश जारी होने तक के लिए पूर्णतया अस्थाई आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।


क्र. स.	नाम	विशिष्टता	जन्म तिथि
1.	डॉ. शिवानी सैनी D/O श्री गोपाल सैनी	चर्म रोग विभाग	21.10.1991
2.	डॉ. पारस चौधरी D/O श्री सत्य प्रकाश सिंह	चर्म रोग विभाग	27.04.1991
3.	डॉ. निमिषा गुप्ता D/O श्री के. एल. गुप्ता	स्त्री एवं प्रसूति विभाग	16.11.1993
4.	डॉ. नीता मीणा D/O श्री शिवचरण मीणा	स्त्री एवं प्रसूति विभाग	01.07.1992
5.	डॉ. सुनीता गढ़वाल D/O श्री राजेन्द्र सिंह	स्त्री एवं प्रसूति विभाग	25.04.1987
6.	डॉ. पूर्णिमा शर्मा W/O श्री रवि गौड़	स्त्री एवं प्रसूति विभाग	12.08.1992
7.	डॉ. रेखा आसेरी D/O श्री सोहन लाल आसेरी	स्त्री एवं प्रसूति विभाग	24.11.1986
8.	डॉ. पोलेश पटेल S/O श्री भूरा राम	शिशु रोग विभाग	27.05.1989
9.	डॉ. श्रेया चौपड़ा W/O श्री राजेश गुर्जर	शिशु रोग विभाग	22.12.1987
10.	डॉ. पंकज माथुर S/O श्री गोपाल लाल माथुर	जनरल मेडिसिन	17.11.1989
11.	डॉ. रमेश S/O श्री शायर राम	जनरल मेडिसिन	15.03.1992
12.	डॉ. अर्चना दुबे D/O श्री महेश कुमार	जनरल मेडिसिन	28.06.1992
13.	डॉ. खुशाल राम चौधरी S/O श्री मूला राम	जनरल मेडिसिन	05.12.1986
14.	डॉ. यतेन्द्र सिंह S/O श्री रणवीर सिंह	जनरल सर्जरी	03.11.1991
15.	डॉ. नरेश कुमार सुथार S/O श्री दिलीप सिंह सुथार	जनरल सर्जरी	29.01.1987
16.	डॉ. क्षेत्रपाल डाबी S/O श्री किशन लाल डाबी	जनरल सर्जरी	09.08.1988
17.	डॉ. हितेश कुमार रूलानिया S/O श्री बेगा राम	अस्थि रोग	09.10.1985
18.	डॉ. अनुप तिवारी S/O श्री विनोद कुमार तिवारी	अस्थि रोग	05.03.1988
19.	डॉ. दीपक कुमार यादव S/O श्री रामनिवास यादव	अस्थि रोग	02.07.1986
20.	डॉ. दीक्षा गुप्ता D/O श्री अनिल कुमार गुप्ता	ई. एन. टी.	06.11.1991
21.	डॉ. बलवीर चौधरी S/O श्री दुदा राम चौधरी	टी. बी. एण्ड चेस्ट	14.07.1984
22.	डॉ. श्वेता भराडिया D/O श्री श्याम सुन्दर भराडिया	निश्चेतन विभाग	01.11.1990
23.	डॉ. अनुश्री वर्मा W/O श्री हिमांशु रतन	निश्चेतन विभाग	14.10.1991
24.	डॉ. शिल्पी ताडा D/O श्री मन्छा राम ताडा	निश्चेतन विभाग	08.11.1990
25.	डॉ. विकास शर्मा S/O श्री हस्तीमल शर्मा	निश्चेतन विभाग	06.01.1984
26.	डॉ. ऊषा चौधरी D/O श्री किशाना राम चौधरी	निश्चेतन विभाग	08.07.1991
27.	डॉ. विरेन्द्र कुमार वर्मा S/O श्री बंशीधर वर्मा	निश्चेतन विभाग	02.07.1984
28.	डॉ. शैलजा कौशिक D/O श्री अर्जुन लाल शर्मा	निश्चेतन विभाग	15.03.1990

24

मा 6

31/07/2020

- सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर चयन शुरुआत में छः माह के लिए किया जाएगा तत्पश्चात् सेवा संतोषजनक होने पर पुनः छः माह के लिए अभिवृद्धि की जा सकती है। उपरोक्त सीनियर रेजीडेन्टों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से स्टार्टफण्ड रू. 61000/- एवं नियमानुसार मंहगाई भत्ता देय होगा इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।
- ये नियुक्ति उक्त चिकित्सकों के दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र सत्यापन एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के अध्यक्षीन होगी।
- उपस्थिति के समय शैक्षणिक योग्यता के मूल दस्तावेज, राजस्थान मेडिकल काउन्सिल द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करने होंगे। राजकीय सेवारत अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण से पूर्व नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा। विगत में कार्यरत रहने की संस्था से त्याग पत्र स्वीकारोक्ति पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- चयनित अभ्यर्थियों को होस्टल सुविधा देय नहीं होगी।
- चयनित अभ्यर्थी यदि हड़ताल अथवा अन्य अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा तो उसकी सेवायें बिना किसी नोटिस के तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
- संबंधित आचार्य एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित कार्य के साथ-साथ आपाताकालीन सेवायें भी देनी होगी।
- इन्हें नियमानुसार इस एक वर्ष की अवधि के दौरान 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर कार्य पूर्णकालीन रेजीडेन्ट के रूप में करना होगा। इसके अतिरिक्त अवकाश लेने पर लिए गए अवकाश की अवधि का कोई स्टार्टफण्ड एवं अनुभव प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
- इन चिकित्सकों को आदेश जारी होने की तिथि से 14 दिवस में अपनी उपस्थिति अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करनी होगी। कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि की प्रार्थना स्वीकार्य नहीं होगी। उक्त नियुक्ति समय समय पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अध्यक्षीन होगी।
- सीनियर रेजीडेन्ट को स्नातक विद्यार्थियों को शिक्षण प्रशिक्षण कार्य में भी भाग लेना होगा,
- महिला अभ्यर्थियों को सीनियर रेजीडेन्सी अवधि में प्रसूति के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार अधिकतम एक बार प्रसूति अवकाश देय होगा।
- न्यूनतम एक माह की अवधि का नोटिस देकर सीनियर रेजीडेन्ट के पद से त्याग पत्र दिया जा सकेगा। एक माह का नोटिस नहीं देने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकृति से पूर्व एक माह का स्टार्टफण्ड राजकोष में जमा कराना अनिवार्य होगा।
- उक्त चिकित्सक प्रथमतः अपनी उपस्थिति प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, डॉ. एस. एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर को प्रस्तुत करेंगे।




(डॉ गुलझारी लाल मीना)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

क्रमांक:-एफ. 2 / स्था. / आमवि / जो0 / 2020 / 11820-27

दिनांक: 31.07.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 जयपुर।
2. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय, जोधपुर।
3. संबंधित आचार्य एवं विभागाध्यक्ष।
4. नोडल अधिकारी, कॉलेज वेबसाईट।
5. लेखाशाखा मय अतिरिक्त प्रति।
6. निजी सचिव, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली / कॉलेज नोटिस बोर्ड।



(डॉ गुलझारी लाल मीना)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक